

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

14 SEP 2018

दूरभाष 0141-2227229, Email-rurbanraj@gmail.com, pdme2k\_rdd@yahoo.com

क्रमांक:-प. 8(13)(15)ग्रावि/अन.8/एसपीएमआरएम/फेज-III/सामान्य/2018 जयपुर, दिनांक:14.09.2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र),  
हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर।

विषय:- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन (तृतीय फेज) के जिला स्तर से अनुमोदित ICAP दिनांक 17.09.2018 तक विभाग को भिजवाने बाबत।


संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 30.07.2018, 03.08.2018 व 10.09.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 30.07.2018, 03.08.2018 व 10.09.2018 तथा वीसी दिनांक 29.06.2018 व 04.09.2018 द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन के तृतीय फेज के समेकित क्लस्टर कार्य योजना (ICAP) को तैयार करने का निर्देश प्रदान किया जा चुका है। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 10.09.2018 द्वारा कनिष्ठ अभियंता व प्रथम फेज में मिशन अन्तर्गत कार्यरत ग्रामीण प्रबंधन पेशेवर को ICAP तैयार करने के कार्य में सहयोग हेतु आपके कार्यालय में भेजे गये हैं।

विभाग को जिला स्तर से अनुमोदित ICAP प्राप्त पश्चात मिशन के प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य स्तर से मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (SLEC) के समक्ष ICAP को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। इसके पश्चात विभाग द्वारा SLEC से अनुमोदित ICAP को सचिव महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में Empowered Committee (EC) में प्रस्तुत किया जाना है। ICAP प्रेषित व अनुमोदन में विलम्ब होने की स्थिति में मिशन की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके स्तर से तैयार ICAP को ग्रामसभा व जिला स्तर से अनुमोदित ICAP की सॉफ्ट व प्रमाणित हार्ड प्रति विभाग को दिनांक 17.09.2018 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

  
(राजेश्वर सिंह)  
प्रमुख सचिव  
ग्रा.वि.एवं पंचायतीराज

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि व परावि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़), सीमलवाड़ा (डूंगरपुर), बांसवाड़ा (बांसवाड़ा) व पीलीबंगा (हनुमानगढ़) निर्धारित तिथि तक विभाग को ICAP भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. कनिष्ठ अभियंता व श्री प्रवीण कुमार (यंग प्रोफेशनल), ग्रामीण विकास (मों. एवं मू.) विभाग को प्राप्त ICAP का अध्ययन कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
5. ग्रामीण प्रबंधन पेशेवर, क्लस्टर विकास एवं प्रबंधन इकाई (सीडीएमयू), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुर्बन मिशन, पंचायत समिति, कामा-भरतपुर, लूणी-जोधपुर, गोगून्दा-उदयपुर व मकराना-नागौर निर्धारित अवधि में रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें।

  
परियोजना निदेशक एवं पदेन  
उप सचिव (मो एवं मू)

14/09/18